

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

मनवान परमजीत कौर आदि बनाम रणजीत सिंह आदि

करण संख्या 81 / 2023 अन्तर्गत धारा 212A

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
05 02 / 25	<p>प्राथमिक व प्राथमिक अधिकारिता उपस्थित नहीं। प्राथमिक व प्राथमिक अधिकारिता को रोक-र कर उ बार आवाज लगावाइ गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्राथमिक का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 212A अदम्य रैरवी, अदम्य हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल पकृत हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर